यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार के माह 08/2015 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री महेन्द्र तिवारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 09.07.2018 से 12.07.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रवि शंकर सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रामप्रीत सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 01.09.2015 से 14.09.2015 तक श्री राकेश कुमार लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 01/2011 से 07/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2015 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी है।

2. **(i)** इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (मा॰)/ जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा॰) का नियंत्रण, जनपद मे प्रत्येक स्तर के विद्यालयों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों का प्रभावी निरीक्षण, सहायता प्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई स्कूल एवं इंटरमीडियट विद्यालयों के कार्मिकों/शिक्षकों से संबन्धित वेतन और मान्यता सम्बन्धी कार्य, निर्माण सम्बन्धी कार्यों का अनुश्रवण, परिषदीय परीक्षाओं के समस्त कार्यों के संचालन, नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य किए जाते है।

कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य का जनपद हरिद्वार है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	185.87	185.87	2.17	2.04	-	0.13
2016-17	-	-	144.66	144.66	80.44	79.28	-	1.16
2017-18	-	-	178.32	178.32	184.13	184.13	-	-
2018-19	-	-	107.62	45.35	107.00	26.00	-	143.27

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**आधिक्य (+)**	**बचत(-)**
2015-16	-	-	-	-	-	-
2016-17	-	-	-	-	-	-
2017-18	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	-	0.03	0.03	-	-
2018-19	-	-	-	-	-	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "स" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव
2. अपर सचिव/महानिदेशक
3. निदेशक मध्यमिक शिक्षा
4. मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी
6. जिला शिक्षा अधिकारी मध्यमिक शिक्षा / जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा
7. खण्ड शिक्षा अधिकारी /उप शिक्षा अधिकारी

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017, 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया|
लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- रु. 23.61 लाख की एक मुश्त पुस्तकीय सहायता का विवरण न किया जाना।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र छात्राओं को एकमुश्त पुस्तकीय सहायता प्रदान किए जाने हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने के लिए वर्ष 2017-18 एवं 2016-17 में निम्न प्रकार धनराशि अवमुक्त एवं व्यय दर्शायी गयीः

वर्ष	अवमुक्त/व्ययित धनराशि	
	अनुसूचित जाति	जनजाति
2016-17	42,29,500	1,36,200
2017-18	32,84,200	89,100

लेखापरीक्षा द्वारा जांच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 में प्राप्त धनराशि में से 23,61,500 चालान द्वारा शासन को वापस कर दिया गया। इस प्रकार कुल 2004200 ही छात्रों को वितरित किया गया जोकि अवमुक्त धनराशि का 56% था।

पत्रावली कि जांच में पाया गया कि हरिद्वार में कक्षा 9 से 12 तक के अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या 6709 एवं अनुसूचित जाति के छात्रों कि संख्या 217 थी, इसी के हिसाब से धनराशि अवमुक्त की गयी थी फिर भी लगभग 54% धनराशि शासन को वापस कर दी गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से धनराशि छात्र एवं छात्राओं को वितरित की गयी जो कि कुल 3157 छात्र छात्राओं को ही वितरित की गयी इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा कुल अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के 6926 छात्रों के लिए आवंटित धनराशि को मात्र 3157 छात्रों को ही वितरित किया गया साथ ही कोषागार में आहरित धनराशि को व्यय के रुप में दर्शाया गया तदुपरान्त अगले वित्तीय वर्ष में 2361500 को चालान द्वारा शासन को समर्पित किया गया।

प्रस्तर संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:-1- शत प्रतिशत धनराशि ₹ 52.74 लाख कार्यदायी संस्था को हस्तांतरित किए जाने के बावजूद भी निर्माण कार्य अपूर्ण।

शासनादेश संख्या 603/XXIV-3/ 15/02(99)2013 दिनांक 30 मार्च 2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ़ योजना के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज लंडौरा, हरिद्वार की चहारदीवारी व अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य हेतु धनराशि ₹ 52.74 लाख मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी। जो इकाई द्वारा पत्र संख्या नियोजन/ 1469-73/ 2014-15 दिनांक 25 मई 2015 के द्वारा उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग रुड़की को हस्तगत करवा दी गयी।

इकाई की निर्माण कार्यों की जून 2018 की मासिक प्रगति आख्या के अनुसार राजकीय इंटर कॉलेज landaura में चार कक्ष एवं चहारदीवारी के निर्माण का प्रस्तावित कार्य जिसकी लागत ₹ 52.74 लाख थी इतना ही व्यय होने के उपरांत भी अपूर्ण थी एवं इसकी भौतिक प्रगति 85% थी।

लेखा परीक्षा द्वारा शत प्रतिशत व्यय होने के उपरांत भी निर्माण कार्य अपूर्ण रहने के संबंध में पूंछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय विवाद के कारण निर्माण कार्य अपूर्ण है, साथ ही व्यय के संबंध में अवगत कराया कि कार्यादायी संस्था द्वारा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या उपलब्ध नहीं कराई गयी जिस कारण इकाई द्वारा संस्था को हस्तगत धनराशि ही व्यय के रूप में दर्शाई गयी है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा कार्यदायी संस्था को धनराशि हस्तगत किया जाना वास्तविक व्यय नहीं माना जा सकता साथ ही वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्राप्त करना इकाई का उत्तरदायित्व था।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
129/2005-06	1,2,3	1,2,3
161/2006-07	-	1,2,3,4,5
08/2008-09	1	1
59/2010-11	-	1
83/2015-16	1	1 2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

……………………………………………………….Nil……………………………………………………………

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य।

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम. स.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री अजय कुमार नौडियल	मु॰शि॰अ॰	09-04-2015 से 09-11-2016 तक
2.	डॉ॰ पुष्पा रानी वर्मा, प्रभारी	मु॰शि॰अ॰	29-09-2016 से 25-05-2017 तक
3.	श्री मेहरबान सिंह बिष्ट, प्रभारी	मु॰शि॰अ॰	25-05-2017 से 12-06-2017 तक
4.	डा॰ रुपेन्द्र दत्त शर्मा	मु॰शि॰अ॰	13-06-2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ, **248195** देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.